न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/368

1. साहब लाल आयु 50 वर्ष पुत्र स्व0 धन्ना लाल ।
2. बीरबल आयु 42 वर्ष पुत्र स्व0 धन्ना लाल ।
3. प्रहलाद आयु 39 वर्ष पुत्र स्व0 धन्ना लाल जाति मीणा पिसरान स्व0 धन्नालाल निवासीगण हथौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

बनाम

1. हजारी लाल पुत्र स्व0 भंवर लाल जाति मीणा ।
2. सूरजमल पुत्र स्व0 भंवर लाल जाति मीणा निवासीगण हथौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
3. रामहेत पुत्र स्व0 बजरंग लाल जाति मीणा ।
4. जुगल किशाोर पुत्र स्व0 बजरंग लाल जाति मीणा ।
5. कोमल पुत्र स्व0 बजरंग लाल जाति मीणा निवासी हथौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा।
6. नैनी बाई पुत्री स्व0 बजरंगलाल पत्नी धनराज जाति मीणा निवासी बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
7. उमा बाई पुत्री स्व0 बजरंग लाल पत्नी रामसिंह जाति मीणा निवासी दूधली तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
8. भोली पुत्री स्व0 भंवर लाल पत्नी धनपाल जाति मीणा निवासी सीनोदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
9. गीता पुत्री स्व0 भंवर लाल पत्नी रामविलास जाति मीणा निवासी नारायणपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
10. चौथमल पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा निवासी कडवाड तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
11. कान्ही पत्नी स्व0 जगन्नाथ जाति मीणा निवासी कडवाड तहसील पीपल्दा जिला कोटा
12. सुमित्रा पुत्री जगन्नाथ पत्नी रामलाल जाति मीणा निवासी अचलगढ तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
13. दाखा पुत्री स्व0 जगन्नाथ पत्नी कस्तूरचन्द जाति मीणा निवासी गिरधरपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
14. जानकी पुत्री धन्नालाल पत्नी चतुर्भुज जाति मीणा निवासी छत्रपुरा (तलाब) तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
15. द्रोपदी पुत्री धन्ना लाल पत्नी कैलाश जाति मीणा निवासी डाबरस्या तहसील श्योपुर जिला श्योपुर (मध्यप्रदेश) ।
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीपल्दा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री मुकुट पारेता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 01 से 09 की ओर से ।
3. श्री रघुवीर सिंह राठौड, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 10 एवं 14 व 15 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 17.12.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इटावा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.07.2007 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 एवं मृतक बजरंग लाल ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 188 एवं 53 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम हथौली तहसील पीपल्दा में आराजी खसरा नम्बर 16 की 37 बीघा 18 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि राजाराम के खाते संयुक्त खातेदारी की भूमि थी जिसमें उनका 1/2 हिस्सा एवं मृतक कालू का 1/2 हिस्सा बांट बराबर से निहित है । उक्त भूमि के बाद सेटलमेंट नवीन खसरा नम्बर 28 की रकबा 0.83 हैक्टर, खसरा नम्बर 34 की 2.83 हैक्टर, खसरा नम्बर 42 की 1.73 हैक्टर, खसरा नम्बर 142 की 0.04 हैक्अर, खसरा नम्बर 144 की 0.25 हैक्टर व खसरा नम्बर 143/462 की 0.21 हैक्टर कुल 06 किता की रकबा 5.89 हैक्टर कायम किये गये । ग्राम हथौली में स्वयं राजाराम के खातेदारी की पुराने खसरा नम्बर 231 की 06 बीघ 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 111 की 01 बीघा 01 बिस्वा कुल 07 बीघा 12 बिस्वा जिसके बाद सेटलमेंट नये खसरा नम्बर 169 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 171 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 337 रकबा 0.60 हैक्टर व खसरा नम्बर 338 की 0.61 हैक्टर कुल 1.33 हैक्टर कायम किये गये । ग्राम बोरदा तहसील पीपल्दा में राजाराम के पृथक खाते में पुराना खसरा नम्बर 131 की रकबा 28 बीघा 07 बिस्वा जिसके बाद सेटलमेंट नवीन खसरा नम्बर 400 रकाब 5.29 हैक्टर कायम किये गये है । कुल भूमि 54 बीघा 18 बिस्वा आराजी राजाराम के खातेदारी एवं हिस्से की है जो पैतृक भूमि है राजाराम की मृत्यु हो जाने के पश्चात् उक्त आराजीयात पर उसके पुत्र भंवर लाल व जगन्नाथ 1/2 – 1/2 हिस्से से खातेदार बने तथा पुत्र धन्न लाल कालू के गोद जाने से कालू की सम्पत्ति पर धन्ना लाल का हक बना व उसके हिस्से की भूमि का धन्नालाल खातेदार बना । भंवर लाल, जगन्नाथ व धन्ना के मध्य आपसी सहमति से वादग्रस्त आराजी का विभाजन कर लिया । राजाराम की मृत्यु के पश्चात् ग्राम हथौली की संयुक्त खातेदारी की आराजी पर कालू हिस्सा 1/2 व भंवर लाल व जगन्नाथ हिस्सा 1/2 दर्ज होना चाहिए था परन्तु मुताबिक कब्जा ग्राम हथौली की संयुक्त खातेदारी की भूमि पर नामान्तरकरण 76 के अनुसार धन्ना बेटा कालू हिस्सा 1/2 तथा जगन्नाथ बेटा राजाराम हिस्सा 1/2 खसरा नम्बर 16 की रकबा 37 बीघा 18 बिस्वा पर नाम दर्ज कर दिया । इसी प्रकार ग्राम हथौली की राजीराम के स्वयं के खातेदारी की भूमि पर नामान्तरकरण 76 के अनुसार जगन्नाथ बेटा राजाराम के 07 बीघा 12 बिस्वा भूमि पर नाम दर्ज कर दिया जबकि कानूनन जगन्नाथ के साथ वादीगण के पिता भंवर लाल का भी भी राजाराम की छोडी गई आराजी में दर्ज होना चाहिए था । इसी प्रकार ग्राम बोरदा की भूमि राजाराम की मृत्यु के पश्चात् भंवरलाल व जगन्नाथ का नाम दर्ज किया जाना

चाहिए था जिसके स्थान पर धन्ना हिस्सा 1/3, जगन्नाथ हिस्सा 1/3 तथा वादीगण के पिता भंवर लाल का हिस्सा से दर्ज कर दिया जबकि मुताबिक कब्जे के ग्राम बोरदा की भूमि पर केवल मात्र भंवर लाल व जगन्नाथ बेटा राजाराम का नाम खाते में दर्ज करना चाहिए था । इस प्रकार राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा राजाराम की मृत्यु के बाद नामान्तरकरण सख्या 76 से गलत नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया जिसे दुरूस्त करवाया जाना आवयश्क हो गया है । उक्त भूमि के अलावा ग्राम सम्मानपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा में कयशुदा भूमि और थी जो वादीगण कम 1 से 3 के आपसी बंटवारे के मुताबिक प्रतिवादी कम 03 के हिस्से व कब्जे काश्त व खातेदारी मं दर्ज होने स अब वादी कम 03 का उक्त भंवरलाल की पैतृक सम्पत्ति में कोई हक व अधिकार नहीं रहा है । ग्राम हथौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा में स्थित आराजी में वादी कम 03 का कोई हक अधिकार नहीं रहा है । प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के हक व अधिकार वाली ग्राम बोरदा को गलत रूप से रिकॉर्ड का फायदा उठाकर वादग्रस्त आराजी को रहन, बेखन करने पर आमादा हैं ।

3. अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम बोरदा तहसील पीपल्दा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 400 की रकबा 5.29 हैक्टर का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि से प्रतिवादी कम 3 से 12 का नाम विलोपित किया जावे उक्तानुसारा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे । ग्राम हथौली की राजाराम के हिस्से व खातेदारी की भूमि कुल 5.89 हैक्टर में वादीगण को 1/2 हिस्सा प्रतिवादी कम 7 से 12 एवं 1/4 हिस्सा भूमि का वादीगण को तथा इसी प्रकार 1/4 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादीगण कम 03 से 06 का नाम बांट– बराबर से खातेदार घोषित करते हुए दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादीगण के साथ वादीगण का नाम भी दर्ज किया जावे । यदि प्रतिवादीगण उक्त भूमि को अपने पास रखना चाहे तो ग्राम बोरदा की भूमि से प्रतिवादीगण के नाम खाते से हटाये जाने का आदेश भी पारित करते हुए राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश पारित किया जावे । वादीगण जाति से मीणा है एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के कारण उन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू नहीं होते हैं इस कारण पुराने कानून के तहत वादीगण के साथ प्रतिवादी कम 1 व 2 का नाम खाते में गलत तौर पर अंकित कर दिया गया है का नाम भी खाते से हटाने की डिक्री पारित की जावे । प्रतिवादीगण कम 03 से 12 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि पारिवारिक बंटवारे में वादीगण को प्राप्त भूमि खसरा नम्बर 400 की 5.29 हैक्टर में प्रतिवादीगण उनके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें और न ही उक्त भूमियों को कहीं रहन, बेचान एवं अन्य प्रकार से खुर्द–बुर्द नहीं करें ।

4. प्रतिवादी कम 1 व 2 ने इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत किया ।

5. प्रतिवादी कम 03 से 12 से जवाबदावा एवं काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर वादीगण के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वादपत्र खारिज करने एवं काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का कथन किया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 19.07.2007 के द्वारा वाद वादीगण एवं काउन्टर क्लेम स्वीकार करते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित कर दी ।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.07.2007 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादी क्रम 08 से 10 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीवार निर्णय पारित नहीं कर कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन किया है । वादीगण ने भी कालूलाल जी के धन्ना लाल को गोद जाना माना है और अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट क्रम 14 व 15 धन्ना लाल जी के विधिक वारिस हैं जिन्होंने भी धन्ना लाल को कालूलाल जी के गोद जाना बताया है । कालू लाल के पिता का नाम औंकार जी था । तीनों ग्रामों की भूमि पैतृक सम्पत्ति है जिसमें कालूलाल का 1/2 हिस्सा तथा धन्नालाल के दत्तक पुत्र होने के नाते अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट 14 व 15 का उक्त आराजी में 1/2 हिस्सा बनता है जिसे वे प्राप्त करने के अधिकारी हैं । राजाराम जी के दोनों पुत्र जगन्नाथ व भंवर लाल को उक्त 1/2 हिस्सा आराजी में 1/4 – 1/4 हिस्सा प्राप्त होगा इसलिए प्रतिवादी क्रम 03 से 06 ने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए कि कहीं 1/2 आराजी अपीलान्ट के चली गई तो अपनी आराजी का हिस्सा कम हो जावेगा । अपीलान्ट के पिता कालूलाल, धन्नालाल के गोद पुत्र थे और उक्त तीनों गॉवों की समस्त सम्पत्ति में उनका 1/2 हिस्सा बनता है जिसे वे प्राप्त करने के अधिकारी हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.07.2007 निरस्त फरमाया जावे और प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे ।

8. अपीलान्टगण ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट को उनके अभिभाषक ने विश्वास में रखा साथ ही अपने सहखातेदार प्रतिवादी क्रम 03 से 07 ने भी विश्वास में रखा कि उक्त प्रकरण में जब भी न्यायालय में उनकी आवश्यकता होगी वे उन्हें सूचना कर देंगे । प्रतिवादी क्रम 03 से 6 ने मात्र एक हरे कागज पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट क्रम 14 व 15 के हस्ताक्षर करवाये थे कि जवाब देना इसके अलावा अधिवक्ता व सहखातेदार ने कभी उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में अपीलान्ट को जानकारी नहीं दी । तद्उपरान्त सर्वप्रथम उक्त निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री की पालना सुनिश्चित करवाने हेतु राजस्व कर्मचारी द्वारा अपीलान्ट क्रम 03 को दिनांक 29.07.2015 को देने पर हुई जिस पर उनके द्वारा दिनांक 30.07.2015 को नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और दिनांक 31.07.2015 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

9. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

10. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण द्वारा अपीलान्ट व अन्य सहखातेदारान के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 एवं 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का ग्राम हथौली, सनमानपुरा व बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा में स्थित विभिन्न खसरा नम्बरान की संयुक्त खाते की पैतृक आराजी बाबत् पेश किया था और कथन किया कि औंकार जी के राजाराम और कालूलाल दो पुत्र थे । राजाराम के तीन पुत्र भंवर लाल, जगन्नाथ व धन्नालाल हुए । धन्नालाल, कालूलाल जी के कोई पुत्र नहीं होने के कारण गोद चला गया और उक्त समस्त पैतृक सम्पत्ति में धन्नालाल, कालू जी के हिस्से पर 1/2 का अधिकारी हो

गया । अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट कम 14 व 15 धन्ना लाल जी के वारिस हैं तथा रेस्पोडेन्ट भंवर लाल जी व जगन्नाथ जी के वारिस हैं । उक्त वाद में वादी ने अपनी साक्ष्य दर्ज करवाई लेकिन अपीलान्ट को साक्ष्य का अवसर प्रदान नहीं हुआ साथ ही सामूहिक जवाबदेही के कारण प्रतिवादी संख्या 3 से 6 ने अपने हित को देखते हुए अपीलान्ट प्रतिवादी कम 07 लगायत 12 का जवाब भी अपने हितार्थ को देखते हुए दिलवा दिया जबकि प्रतिवादी संख्या 07 से 12 अपीलान्ट का यह कथन नहीं रहा है कि धन्ना लाल, कालूलाल के गोद नहीं गया। इस प्रकार वादी के गलत साक्ष्य व अपीलान्ट को साक्ष्य एवं समुचित जवाबदेही का अवसर नहीं मिल पाने के कारण अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को डिक्री कर दिया । तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया गया है । धन्नालाल जी, कालूलाल जी के गोद गये थे, कालूलाल का 1/2 हिस्सा धन्ना लाल को प्राप्त करने का अधिकार है । राजाराम जी के दोनों पुत्र जगन्नाथ व भंवर लाल को 1/2 हिस्सा आराजी में से 1/4 – 1/4 हिस्सा प्राप्त होगा । अधीनस्थ न्यायालय ने कालूलाल को लाऔलाद मानते हुए आराजी में 1/3 –1/3 हिस्सा दर्ज करने के जो आदेश पारित किये हैं वे त्रुटिपूर्ण हैं । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.07.2007 निरस्त फरमाया जावे ।

11. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील सन् 2007 के निर्णय के खिलाफ सन् 2015 में पेश की गई है जो गंभीर रूप से अवधि बाधित है, विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया है । न्यायालय को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु को तय करना चाहिए उसके उपरान्त ही गुणावगुण पर विचारा किया जा सकता है । अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण के द्वारा दावा हक घोषणा, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया था जिसमें जवाबदावा प्रतिवादी अपीलान्टगण के द्वारा भी पेश किया गया था । दावे में तनकीयात कायम की गई और साक्ष्य लेने के उपरान्त विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री 1/3 –1/3 हिस्से के हिसाब से जारी की गई है । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा धन्ना लाल को कालूलाल का गोदपुत्र नहीं माना है । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा सन् 2007 में प्रारम्भिक डिक्री पारित की गई है और उसके उपरान्त लगातार उभयपक्षकारान के अभिभाषकगण की उपस्थिति की कई आदेशिकाएं लिखी गई हैं। पत्रावली में वकील प्रतिवादी की भी उपस्थिति दर्ज की गई है इसके बावजूद धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया गया है कि निर्णय की जानकारी दिनांक 30.07.2015 को हुई जबकि इससे पूर्व की अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं के अनुसार अपीलान्ट के अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए हैं । गोद का कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक रूप से धन्नालाल को कालूलाल का गोदपुत्र नहीं माना है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से एवं सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.07.2007 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 2019 पेज 332, आरआरटी 2018 (1) पेज 188, डीएनजे 2019 (1) (राज0) पेज 47, आरआरटी 2008 (2) पेज 1408, 2009–10 (सप्ली) आरआरटी पेज 535, आरआरटी 2007 (2) पेज 939, 2009 (1) आरआरटी पेज 432, 2001 डीएनजे (एससी) पेज 415, एआईआर 2009 (राज0) पेज 122, एआईआर 2011 (एससी) पेज 644 उद्धरत की ।

12. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण द्वारा अपीलान्ट व अन्य सहखातेदारान के

विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 एवं 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का ग्राम हथौली, सनमानपुरा व बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा में स्थित विभिन्न खसरा नम्बरान की संयुक्त खाते की पैतृक आराजी बाबत् पेश किया था और कथन किया कि धन्ना लाल, कालूलाल के गोद गया था । इस दावे का जवाब स्वीकारोक्ति प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के द्वारा पेश किया गया था और प्रतिवादी क्रम 3 से 12 जिसमें कि अपीलान्टगण भी शामिल हैं के द्वारा जवाबदावा इंकारी मय काउन्टर क्लेम पेश किया है और उसमें यह कथन किया गया है कि वादग्रस्त आराजी में राजाराम के वारिस भंवर लाल, जगन्नाथ का उक्त आराजी में 1/3 – 1/3 हिस्सा निहित है ।

13. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में नकल खाता मौजा हथेली संवत् 2008 प्रदर्श– पी–1, नकल जमाबन्दी ग्राम हथोली संवत् 2012–15 प्रदर्श– पी–2, नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम बोरदा प्रदर्श– पी–3, नकल जमाबन्दी ग्राम हथोली संवत् 2028–31 प्रदर्श – पी–4, नकल जमाबन्दी ग्राम हथोली संवत् 2028–31 प्रदर्श– पी–5, नकल जमाबन्दी संवत् 2034–37 ग्राम बोरदा नया खाता संख्या 61 प्रदर्श– पी–6, नकल जमाबन्दी ग्राम हथोली संवत् 2059–62 प्रदर्श– पी–7, नकल जमाबन्दी ग्राम हथोली संवत् 2059–62 प्रदर्श – पी–8, नकल जमाबन्दीग्राम बोरदा नया खाता संख्या 45 संवत् 2046–49 प्रदर्श– पी–9, नकल जमाबन्दी ग्राम बोरदा नया खाता संख्या 72 संवत् 2058–61 प्रदर्श– पी–10, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत् 2041–60 प्रदर्श– पी–11, नोटिस धारा 80 सीपीसी प्रदर्श – पी–11 ए, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श– पी–12, रसीदात की फोटो प्रति प्रदर्श– पी–12 ए से लगायत पी–23 ए, नकल जमाबन्दी ग्राम सनमानपुरा संवत् 2058–61 प्रदर्श – पी–24, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श– 25, फोटो प्रति रसीदात प्रदर्श– पी–25 ए से लेकर 51 ए, पेश किये गये हैं ।

14. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर वादी की ओर से बयान हजारी लाल पीडब्ल्यू–1, बजरंग लाल पीडब्ल्यू–2, रमेशचन्द पीडब्ल्यू–3, नारायण लाल पीडब्ल्यू–4, भंवर लाल पीडब्ल्यू–5, मांगीलाल पीडब्ल्यू–6 कराये गये हैं ।

15. प्रतिवादी की ओर से बयान चौथमल डीडब्ल्यू–1, साहब लाल डीडब्ल्यू–2, बीरवल डीडब्ल्यू–3, प्रहलाद डीडब्ल्यू–4 कराये गये हैं ।

16. अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन निर्णय विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री का सन् 2007 में पारित किया गया है इसके उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली में कई पेशियॉ बंटवारा रिपोर्ट एवं अन्य कार्यवाही में चली हैं जिसमें बकुलाय फरीकेन की उपस्थिति दर्ज की गई है। दिनांक 25.09.2008 की आदेशिका में भी वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का उल्लेख है । जब अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका जो कि प्रारम्भिक डिक्री के उपरान्त लगातार दिनांक 17.11.2015 तक चली है जिसमें उभयपक्षकारान के अभिभाषकगण की उपस्थिति दर्ज की गई तो ऐसी स्थिति में धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में जो अपीलान्टगण के द्वारा यह अंकित किया गया है कि उनको अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी दिनांक 30.07.2015 को हुई तथ्यों के विपरीत है। अपील सन् 2007 के खिलाफ सन् 2015 में पेश की गई है जो गंभीर रूप से अवधि बाधित है। इन तथ्यों के आधार पर धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं । विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के द्वारा उद्धरत नजीर आरआरडी 2019 पेज 332, आरआरटी 2018 (1) पेज 188, डीएनजे 2019 (1) (राज0) पेज 47, आरआरटी

2008 (2) पेज 1408, 2009–10 (सप्ली) आरआरटी पेज 535, आरआरटी 2007 (2) पेज 939, 2009 (1) आरआरटी पेज 432 यहॉ चस्पा होती हैं ।

17. यदि गुणावगुण के आधार पर विचार किया जावे तो भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा धन्ना लाल को कालूलाल का गोदपुत्र नहीं माना है व विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित की है । अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण क्रम 03 लगायत 12 के द्वारा जो जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया है उसमें अपीलान्टगण भी शामिल हैं उसमें वादग्रस्त आराजी 1/3 – 1/3 के हिसाब से विभाजन की प्रार्थना की गई है । अब इस जवाबदावे के विपरीत कोई भी कथन करने से अपीलान्टगण एस्टोप्ड हैं । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट गंभीर रूप से अवधि बाधित होने एवं सारहीन होने से खारिज होने योग्य है ।

18. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट गंभीर रूप से अवधि बाधित होने एवं सारहीन होने से खारिज की जातीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.07.2007 बहाल रखा जाता है ।

19. निर्णय आज दिनांक 17.12.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

17.12.19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 15/368

1. साहब लाल आयु 50 वर्ष पुत्र स्व0 धन्ना लाल ।
2. बीरबल आयु 42 वर्ष पुत्र स्व0 धन्ना लाल ।
3. प्रहलाद आयु 39 वर्ष पुत्र स्व0 धन्ना लाल जाति मीणा पिसरान स्व0 धन्नालाल निवासीगण हथौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. हजारी लाल पुत्र स्व0 भंवर लाल जाति मीणा ।
2. सूरजमल पुत्र स्व0 भंवर लाल जाति मीणा निवासीगण हथौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
3. रामहेत पुत्र स्व0 बजरंग लाल जाति मीणा ।
4. जुगल किशाोर पुत्र स्व0 बजरंग लाल जाति मीणा ।
5. कोमल पुत्र स्व0 बजरंग लाल जाति मीणा निवासी हथौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा।
6. नैनी बाई पुत्री स्व0 बजरंगलाल पत्नी धनराज जाति मीणा निवासी बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
7. उमा बाई पुत्री स्व0 बजरंग लाल पत्नी रामसिंह जाति मीणा निवासी दूधली तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
8. भोली पुत्री स्व0 भंवर लाल पत्नी धनपाल जाति मीणा निवासी सीनोदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
9. गीता पुत्री स्व0 भंवर लाल पत्नी रामविलास जाति मीणा निवासी नारायणपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
10. चौथमल पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा निवासी कडवाड तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
11. कान्ही पत्नी स्व0 जगन्नाथ जाति मीणा निवासी कडवाड तहसील पीपल्दा जिला कोटा
12. सुमित्रा पुत्री जगन्नाथ पत्नी रामलाल जाति मीणा निवासी अचलगढ तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
13. दाखा पुत्री स्व0 जगन्नाथ पत्नी कस्तूरचन्द जाति मीणा निवासी गिरधरपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
14. जानकी पुत्री धन्नालाल पत्नी चतुर्भुज जाति मीणा निवासी छत्रपुरा (तलाब) तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

15. द्रोपदी पुत्री धन्ना लाल पत्नी कैलाश जाति मीणा निवासी डाबरस्या तहसील श्योपुर जिला श्योपुर (मध्यप्रदेश) ।
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीपल्दा जिला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.07.2007 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इटावा जिला कोटा ।

वाद संख्याः 60 / दावा / 2004

1. हजारी लाल पुत्र स्व0 भंवर लाल जाति मीणा निवासी हथौली तहसील पीपल्दा ।
2. सूरजमल पुत्र स्व0 भंवर लाल जाति मीणा निवासीगण हथौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
3. बजरंग लाल पुत्र भंवर लाल जाति मीणा निवासी हथौली तहसील पीपल्दा ।

——वादी

बनाम

1. मुस0 भोली पुत्री स्व0 भंवर लाल पत्नी धनपाल जाति मीणा निवासी सीनोदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
2. गीता पुत्री स्व0 भंवर लाल पत्नी रामविलास जाति मीणा निवासी नारायणपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
3. चौथमल पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा निवासी कडवाड तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
4. मुस0 कान्ही पत्नी स्व0 जगन्नाथ जाति मीणा निवासी कडवाड तहसील पीपल्दा जिला कोटा
5. सुमित्रा पुत्री जगन्नाथ पत्नी रामलाल जाति मीणा निवासी अचलगढ तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
6. दाखा पुत्री स्व0 जगन्नाथ पत्नी कस्तूरचन्द जाति मीणा निवासी गिरधरपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
7. बीरबल पुत्र धन्ना लाल जाति मीणा निवासी हथौली तहसील पीपल्दा ।
8. प्रहलाद पुत्र धन्ना लाल जाति मीणा निवासी हथौली तहसील पीपल्दा ।
9. साहब लाल आयु 50 वर्ष पुत्र स्व0 धन्ना लाल निवासी हथौली तहसील पीपल्दा ।
10. मुस0 रामनाथी बेवा धन्ना लाल जाति मीणा ।
11. जानकी पुत्री धन्नालाल पत्नी चतुर्भुज जाति मीणा निवासी छत्रपुरा (तलाब) तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
12. द्रोपदी पुत्री धन्ना लाल पत्नी कैलाश जाति मीणा निवासी डाबरस्या तहसील श्योपुर जिला श्योपुर (मध्यप्रदेश) ।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीपल्दा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इटावा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.07.2007 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 17.12.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री मुकुट पारेता एवं रेस्पोडेन्ट कम 01 से 09 की ओर से अभिभाषक सुरेन्द्र माहेश्वरी एवं रेस्पोडेन्ट कम 10, 14 एवं 15 की ओर से अभिभाषक श्री रघुवीर सिंह राठौड के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट गंभीर रूप से अवधि बाधित होने एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.07.2007 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 17.12.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

17/12/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा